राजस्व प्रार्थना पत्र 45/2019
हरिराम वगैरह बनाम जीवनराम वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.)जायल, जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 45/2019

प्रार्थी –

1. हरीराम पुत्र भोलाराम
2. हनुमानराम पुत्र भोलाराम
   समस्त जातियान–जाट, निवासीगण–छाजोली, तहसील–डेगाना, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. जीवनराम पुत्र कानाराम
2. मनीराम पुत्र कानाराम
3. रेखाराम पुत्र कानाराम
4. जगदीश पुत्र कानाराम फौत के कायम मुकामान
   क–सुगनाई बैवा जगदीश
   ख–मूलाराम पुत्र जगदीश
   ग–रामु पुत्र जगदीश
   घ–भंवरीदेवी पुत्री जगदीश जातियान–जाट, निवासी–छाजोली, तहसील जायल
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956

1. श्री रामनारायण चौधरी, श्री मुकेश बिड़ीयासर प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4क से 4घ के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
4. अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार जायल जरिये राजपैरोकार उपस्थित।

दिनांक : 04/02/2024

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा नं. 307/616 रकबा 0.0809 हैक्टेयर व खसरा नं. 964/601 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं.

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
04/02/2024

Scanned by CamScanner

307/601 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के पास उत्तर दिशा में रास्ता व रास्ता के बाद उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 307/706 रकबा 0.0728 हैक्टैयर (गैर मुमकिन बाड़ा) मौजूद है, जो प्रार्थीगण के बाड़ो के उत्तर दिशा में रास्ता के बाद स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा खतौनी में इन्द्राज रकबे से अधिक भाग पर कब्जा करने पर प्रार्थीगण के खसरा नं. 307/601, 307/616 व खसरा नं. 964/601 तीनों का नाप दिनांक 10.07.2019 को कराने पर पटवारी हल्का जायल व पटवारी हल्का कठौती के द्वारा माप कराने पर रकबा 0.02.10 बीघा कम पाया गया, उक्त नाप की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। अप्रार्थीगण शनैः शनैः प्रार्थीगण के बाड़े के उत्तर दिशा में रास्ता व प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा बढाते रहने से प्रार्थीगण नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 308 के पूर्व दिशा में नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम माफिक होना साबित है किन्तु अप्रार्थीगण ने आवंटित नियमन सुदा बाड़ा खसरा नं. 307/706 के अलावा खसरा नं. 308 (सरकारी भूमि) पर कब्जा करते हुये खसरा नं. 308 के दक्षिण में स्थित रास्ता की भूमि पर भी कब्जा करने की कुचैष्टा की है तथा प्रार्थीगण के अधिकारों को चैलेंज करने लगे है इस कारण मारपीट जेसी घटना से बचने के लिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी के बाड़ा खसरा नम्बर 307/616, खसरा नं. 964/601 व खसरा नं. 307/601 के चारो तरफ पत्थर गढ़ी व दीवार बनाने के आदेश जारी करने का निवेदन वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालातनामा तथा दिनांक 28.10.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4क से 4घ के सम्मन बावजूद सूचना के तामील रहने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 06.07.2020 को पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार जायल (राजपैरोकार) उपस्थित।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
04/07/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होना जाहिर किया तथा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुये तर्क दिया कि अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 307/706 गैर मुमकिन बाड़ा मौजूद होने व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जायगा के बीच में रास्ता की भूमि होने की बात सही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के आदेश की आड़ में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी जायगा का नाप इकरतफा रूप से हल्का पटवारी से मिलावट कर गलत नाप करवाया है तथा जांच रिपोर्ट में मुन्तिकल पॉईट किस बिन्दू का माना गया है अंकित नही होने से बिना मुन्तिकल बिन्दू के किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा निष्पक्ष टीम गठित कर पुनः नाप करवाने के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। रास्ता की भूमि के संबंध में नाप व अतिक्रमण के संबंध मं कार्यवाही के लिए तहसीलदार जायल स्वतंत्र है। इसलिए प्रार्थी ने इस उद्‌देश्य के लिए तहसीलदार जायल को गलत पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत है क्यों कि अप्रार्थीगण के बाड़े के पक्की दीवार काफी पूरानी निकाली होने से शनैः शनैः कब्जा बढ़ाने की बात गलत लिखी है। प्रार्थीगण ने कही पर भी सरकार भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी लगातार अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए झूठी शिकायते कर सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे का पुख्ता करना चाहता है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुये अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि ग्राम छाजोली तहसील जायल की आबादी में खसरा नं. 307/706 प्रार्थी का गैर मुमकिन बाड़ा आया हुआ है जिसके उतर में रामपाल पुत्र अमराराम का बाड़ा मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में सांवताराम का मकान तथा पश्चिम में मातुराम पुत्र रामनाथ का मकान है। उपरोक्त पड़ौसियों में से प्रार्थी किसी तरफ का पड़ौसी नहीं है। प्रार्थी रास्ता की जमीन पर पत्थरगढ़ी आदेश की आड़ में अतिक्रमण करना चाहता है। चूंकि अप्रार्थी का बाड़ा गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज है तथा आबादी के मध्य में आया हुआ है। अप्रार्थी सहित

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

चारो तरफ रहवासी पक्के मकान बने हुये है जिससे प्रकरण माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार का नहीं होकर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है। उक्त प्रकरण में नाप रिपोर्ट बिना अनुभवी टीम के सही नाप किया जाना संभव नहीं है तथा उक्त संदिग्ध रिपोर्ट को आधार मानकर पुरानी पक्की दीवार की सीमओं के बावजदू पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थीगण की जायगा के बीच रास्ता की भूमि आयी हुई है एवं अप्रार्थी के बाड़ा के पक्की दीवार पुरानी बनी हुई तथा अप्रार्थी की जायगा का सिविल वाद संख्या 09/2020 जीवणराम बनाम सरकार सिविल न्यायालय जायल में विचाराधीन चल रहा है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर उक्त प्रकरण धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी का दिलाई गई तथा प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा नं. 307/616 रकबा 0.0809 हैक्टेयर व खसरा नं. 964/601 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नं. 307/601 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के पास उत्तर दिशा में रास्ता व रास्ता के बाद उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 307/706 रकबा 0.0728 हैक्टैयर (गैर मुमकिन बाड़ा) मौजूद है, प्रार्थीगण के बाड़ो के उत्तर दिशा में रास्ता के बाद स्थित है। अप्रार्थीगण की खतौनी में इन्द्राज रकबे से अधिक भाग पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के खसरा नं. 307/601, 307/616 व खसरा नं. 964/601 तीनों का नाप दिनांक 10.07.2019 को कराने पर पटवारी हल्का जायल व पटवारी हल्का कठौती के द्वारा माप कराने पर रकबा 0.02.10 बीघा कम पाया गया। अप्रार्थीगण शनैः शनैः प्रार्थीगण के बाड़े के उत्तर दिशा में रास्ता व प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा बढाते रहने से प्रार्थीगण नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 308 के पूर्व दिशा में नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम माफिक दर्ज है किन्तु अप्रार्थीगण ने आवंटित नियमन सुदा बाड़ा खसरा नं. 307/706 के अलावा खसरा नं. 308 (सरकारी भूमि) पर कब्जा करते हुये खसरा नं. 308 के दक्षिण में स्थित रास्ता की भूमि पर भी कब्जा करने की कुचैष्टा की है तथा प्रार्थीगण के अधिकारों को चैलेंज करने लगे है इस कारण मारपीट जेसी घटना से बचने के लिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी के बाड़ा खसरा नम्बर 307/616, खसरा नं. 964/601 व खसरा नं. 307/601 के चारो तरफ पत्थर गढ़ी व दीवार बनाने के आदेश जारी फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का बाड़ा खसरा नं. 307/706 गैर मुमकिन बाड़ा मौजूद होने व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जायगा के बीच में रास्ता की भूमि होने की बात सही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के आदेश की आड़ में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी जायगा का नाप इकरतफा रूप से हल्का पटवारी से मिलावट कर गलत नाप करवाया है तथा जांच रिपोर्ट में मुन्तिकल पॉईट किस बिन्दू का माना गया है अंकित नही होने से बिना मुन्तिकल बिन्दू के किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा निष्पक्ष टीम गठित कर पुनः नाप करवाने के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। रास्ता की भूमि के संबंध में नाप व अतिक्रमण के संबंध मं कार्यवाही के लिए तहसीलदार जायल स्वतंत्र है। इसलिए प्रार्थी ने इस उद्देश्य के लिए तहसीलदार जायल को गलत पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत है क्यों कि अप्रार्थीगण के बाड़े के पक्की दीवार काफी पूरानी निकाली होने से शनैः शनैः कब्जा बढ़ाने की बात गलत लिखी है। प्रार्थीगण ने कही पर भी सरकार भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी लगातार अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए झूठी शिकायते कर सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे का पुख्ता करना चाहता है।

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थी ने आगे बहस में निवेदन किया कि ग्राम छाजोली तहसील जायल की आबादी में खसरा नं. 307/706 प्रार्थी का गैर मुमकिन बाड़ा आया हुआ है जिसके उत्तर में रामपाल पुत्र अमराराम का बाड़ा मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में सांवताराम का मकान तथा पश्चिम में मातुराम पुत्र रामनाथ का मकान है। उपरोक्त पड़ौसियों में से प्रार्थी किसी तरफ का पड़ौसी नहीं है। प्रार्थी रास्ता की जमीन पर पत्थरगढ़ी आदेश की आड़ में अतिक्रमण करना चाहता है। चूंकि अप्रार्थी का बाड़ा गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज है तथा आबादी के मध्य में आया हुआ है। अप्रार्थी सहित चारो तरफ रहवासी पक्के मकान बने हुये है जिससे प्रकरण माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार का नहीं होकर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है। उक्त प्रकरण में नाप रिपोर्ट बिना अनुभवी टीम के सही नाप किया जाना संभव नहीं है तथा उक्त संदिग्ध रिपोर्ट को आधार मानकर पुरानी पक्की दीवार की सीमओं के बावजदू पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थीगण की जायगा के बीच रास्ता की भूमि आयी हुई है एवं अप्रार्थी के बाड़ा के पक्की दीवार पुरानी बनी हुई तथा अप्रार्थी की जायगा का सिविल वाद संख्या 09/2020 जीवणराम बनाम सरकार सिविल न्यायालय जायल में विचाराधीन चल रहा है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर उक्त प्रकरण धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वकुलाय की दलीलों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया गया कि पत्रावली में प्रार्थी ने विवादग्रस्त बाड़ा को आवंटन सुदा बताया है जबकि कब आवंटन हुआ इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारी जारी सनद की प्रति पेश नहीं की है तथा न ही आवंटन की पुस्त अनुसार तरमीम का नक्शा नजरी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण सीमज्ञान की स्पष्ट तौर पर ताईद होना जाहिर नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार तहसीलदार जायल के आदेशांक 1788–89, 1790–91 दिनांक 02.07.2019 की पालना में पटवारी हळका

04/02/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

एवं भू.अ. निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.07.2019 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में बताया कि ग्राम छाजोली के खसरा नं. 307/601, 307/616, 964/601 पास–2 होने से तीनों खसरों का एक साथ नाप किया जाकर तीनों खसरों का कुल रकबा 0.17.10 बीघा अंकित किया है तथा जमाबंदी में अंकन अनुसार तीनों खसरों का कुल रकबा 1.00 बीघा होना बताया है तथा मौके पर प्रार्थी 0.02.10 बीघा भूमि कम बताई है, परन्तु उक्त मौका फर्द रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि 0.02.10 बीघा भूमि किस–किस दिशा में तथा कितनी–2 भूमि कम है। इस संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 में रास्ते के सामने की भूमि खसरा नं. 308 की भूमि राजकीय पड़त भूमि होना तथा उक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी जीवनराम का अतिक्रमण बताया है। जिसपर न्यायालय नायब तहसीलदार जायल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली एवं जुर्माना वसूली के आदेश जारी किये जाने का अंकन है।

चूंकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मौजा छाजोली के खसरा नं. 307/616, 964/601, 307/601 के चारो तरफ दीवार बनाने की की इस्तदुआ चाही है, जो कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धाराओं में कवर नहीं है तथा विवादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2019 में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं कि किस खसरे की कितनी भूमि कम पाई गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं बहस वकुलाय पर मनन किये जाने के उपरान्त हमारी राय में प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 307/616, 964/601 व खसरा नं. 307/601 के आवंटन सुदा बाड़ा के संबंध में आवश्यक दस्तावेज (यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सनद आदेश तथा पुस्त नजरी नक्शा) पेश नहीं किये जाने खसरा नं. 308 की सरकारी पड़त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 जीवनराम को अतिक्रमी मानते हुये न्यायालय नायब तहसीलदार जायल द्वारा जारी किये गये बेदखली तथा जुर्माना वसूली आदेश जारी किये गये है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 45/2019
हरिराम वगैरह बनाम जीवनराम वगैरह

खसरा नं. 307/616, 964/601 व 307/601 के चारो तरफ पत्थरगढ़ी व दीवार बनाने की गई इस्तदुआ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान के तहत कवर नहीं होती है। अतः हमारी राय में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट पत्थरगढ़ी किये जाने के संबंध में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में चाही गई मौजा छाजोली तहसील जायल के खसरा नं. 307/616, 964/601 व 307/601 की भूमि प्रार्थी को आवंटित सुदा भूमि है, के संबंध में आवश्यक सबूतादि के अभाव में पत्थरगढ़ी व दीवार निकाले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र सम्पुष्ट नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 04/04/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

[signature]
04/04/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल